न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 48 / 2025(GCMS 2025/289)

(RTI No.: 212639239041034)

अनुजा गुप्ता निवासी 94 शंकर कॉलोनी–1, मीरा चौक, एल.आई.सी. रोड, नजदीक शिव मंदिर, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 94607–33665)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुजा गुप्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनुजा गुप्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनुजा गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 19.04.2025 से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. दिनांक 29.08.2024 को ग्राम पंचायत, भागसर (सादुलशहर) जिला श्रीगंगानगर में आयोजित रात्रि चौपाल के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भागसर की प्राचार्य व कार्मिकों के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों की प्राप्ति की दिनांक व माध्यम की प्रमाणित सूचना, प्राप्त शिकायत पत्रों की प्रमाणित प्रतियां सहित।
2. बिन्दु संख्या 01 अनुसार प्राप्त शिकायत पत्रों के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंतर विभागीय स्तर के आंतरिक–बाह्य पत्राचार व नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां
3. उक्त शिकायत पत्रों के संबंध में गठित जांच दल संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति व जांच दल द्वारा की गई जांच कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (जांच दल द्वारा जांच के संबंध में जारी की गई समस्त प्रश्नावलियां, पत्रों व प्राप्त प्रत्युत्तरों की प्रमाणित प्रतियां सहित)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:29 IST
Reason: SelfAttested

Manju

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार – 48/2025
(GCMS No. 2025/289)
(RTI No. 212639239041034)

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1482 दिनांक 09.07.2025 एवं स्मरण पत्र 3934 दिनांक 29.11.2025 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित कि[illegible] आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:29 IST
Reason: SelfAttested